संख्या-63/2025/।-1139118/सा0-331/38-2-2025
38-2099-99-33-2021

प्रेषक,

चन्द्रिका प्रसाद,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 11 नवम्बर, 2025

विषयः- जनपद-बस्ती के विकास खण्ड-विक्रमजोत में आवासीय भवनों के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन की प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय आपके पत्रांक-602/मु0प्रा0प0/एतसप/सामु0वि0/2025-26, दिनांक 08 जुलाई, 2025, मुख्य विकास अधिकारी, बस्ती के पत्रांक-731/लेखा/सामु0वि0/2025-26, दिनांक 12.05.2025 तथा शासनादेश संख्या-37/2025/।-886102/सा0-108/38-2-2025, दिनांक 20 फरवरी, 2025 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जनपद-बस्ती के विकास खण्ड- विक्रमजोत में आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु **मुख्य प्राविधिक परीक्षक टी0ए0सी0, ग्राम्य विकास उ0प्र0 द्वारा पुनरीक्षित** आकलित लागत रू0 464.05 लाख (रूपये चार करोड़ चौसठ लाख पांच हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैंः-

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों</u>

(1) वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों/मानकों में प्रावधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और शासनादेश में दिये गये अन्य दिशा निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 इस शासनादेश में उल्लिखित सभी शर्तों का एवं पूर्व में जारी शासनादेश दिनांक 20 फरवरी, 2025 का अनुपालन विभाग में कार्यरत वित्त नियंत्रक/ मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे तथा यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि वे मामले की पूर्ण सूचना विवरण सहित शासन/वित्त विभाग को प्रेषित करेंगे।

(3) परियोजना में शासनादेश दिनांक 20 फरवरी, 2025 के द्वारा स्वीकृत प्रथम किश्त के रूप में कुल धनराशि रू0 100.00 लाख के सापेक्ष नियमानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(4) प्रायोजना में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथा मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण कार्य के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व जनपद के मुख्य विकास अधिकारी/कार्यदायी संस्था का होगा।

(6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, जनपद के मुख्य विकास अधिकारी/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-5/2021/65-2023/2/2019-2, दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु भवनों को दिव्यांगजन हितैषी/बाधा रहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in India, 2021" में दिये गये प्रावधानों के अनुसार आयुक्त, ग्राम्य विकास, जनपद के मुख्य विकास अधिकारी/कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित प्रावधानों को यथा मानते हुये मुख्य प्राविधिक परीक्षक एपेक्स टी0ए0सी0 ग्राम्य विकास, उ0प्र0 द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण किया गया है जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(9) सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य कराने से पूर्व स्थलीय सर्वेक्षण करते हुए अनुमन्यता व वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित ड्राइंग के अनुसार नियमानुसार समस्त दरों का अनुमोदन सक्षम अधिकारी से प्राप्त करते हुए विस्तृत प्राक्कलन का गठन कर इसकी तकनीकी स्वीकृति सक्षम तकीनीकी अधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही नियमानुसार कार्य सम्पादन की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,
चन्द्रिका प्रसाद
उप सचिव।

संख्या-63/2025//I-1139118/सा0-331/38-2-2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
3- अपर आयुक्त, (वित्त) ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, बस्ती।
5- नोडल अधिकारी/उप सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, बस्ती।
7- कोषाधिकारी, बस्ती।
8- जिला अर्थ एवं संख्या, अधिकारी, बस्ती।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2
10- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, बस्ती।
11- ग्राम्य विकास अनुभाग-5
12- गार्ड बुक।

आज्ञा से
चन्द्रिका प्रसाद
उपसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।